न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेड़ा (धौलपुर)

प्रकरण संख्या 1/2019 निर्णय दिनांक 24/10/19

रिपोर्ट पटवारी हल्का सिकरौदा द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जाये। पत्रावली 24/10/19 को पेश है।

आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का सिकरौदा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल शीला पत्नी पुत्र भाराप्रसाद कौम निषाद निवासी हीतपुरा राजाखेड़ा ने आराजी खसरा न0 158/76 किस्म सिंचाई रकबा 0-14/1-08 वाके ग्राम हीतपुरा बाजरा की फसल बोकर/जोतकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया। गैरसायल उपस्थित/~~अनुपस्थित~~ रहा, कोई सबूत एवं साक्ष्य पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया तो पाया कि अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 1-05/2-10 की 50 गुनी से शास्ति राशि 53/105 रुपये आरोपित की जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को लिखा जाए। डिक्री की नकल कार्यालय जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया जाता है।

1581
4 क्रम सं0 1

तहसीलदार
राजाखेड़ा (धौलपुर)